उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-96/2017/861/92-2-2017-29जॉच/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 19 जून, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री रज्जन लाल कुशवाहा, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-उन्नाव को कार्यालय ज्ञाप संख्या-58/2017/631/92-2-17-29जांच/2017 दिनांक 05-05-2017 द्वारा निलिम्बत करते हुए उनके विरुद्व उ0प्र0 सकरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम 7 के अंतर्गत अनुशासिनक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

श्री रज्जन लाल कुशवाहा, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-उन्नाव द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 05-05-2017 के विरुद्व मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच लखनऊ में रिट याचिका सं0-एस0/बी0-12174/2017 रज्जन लाल कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका में अपने आदेश दिनांक 29-05-2017 द्वारा याची के निलम्बन आदेश दिनांक 05-05-2017 को अपास्त किया गया।

3- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-05-2017 के समादर में प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त याची श्री रज्जन लाल कुशवाहा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-उन्नाव का निलम्बन आदेश एतदद्वारा निरस्त करते हुये उन्हें सेवा में इस शर्त के साथ बहाल किया जाता हैं कि उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक जॉच यथावत प्रचलित रहेगी।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-96/2017/861(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री रज्जन लाल कुशवाहा, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।